न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/7182/2002/झालावाड

पप्पू लाल पुत्र पन्नालाल जाति गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

अपीलार्थी

बनाम

1.मृतक पीरखां पुत्र रोशन खां के कायम मुकाम–

1/1.दरयाब बाई बेबा पीरखां मेवाती निवासी बामनगांव

1/2. सलमान खां पुत्र पीरखां मेवाती निवासी बामनगांव

1/3. निसार खां पुत्र पीरखां जाति मेवाती निवासी बामनगांव

1/4. महबूब खां पुत्र पीरखां जाति मेवाती निवासी बामनगांव

1/5.उस्मान खां पुत्र पीरखां जाति मेवाती निवासी बामनगांव

1/6. आमना पुत्री पीरखां जाति मेवाती निवासी बामनगांव तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

2. रामेश्वर दयाल पुत्र शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी चन्दीपुर

3. युगल किशोर पुत्र शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी चन्दीपुर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा

5. बीरमचन्द पुत्र पन्ना लाल

6. गुलाब चन्द पुत्र पन्ना लाल

7. रोडी बाई पुत्री पन्ना लाल पत्नी प्रभु लाल जाति गाडरी निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बांरा

8. सूरजी बाई बेबा पन्ना लाल गाडरी निवासी ढाबा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
विपक्षीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11.7.2019

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–02 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के न्यायालय में अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 53,91,188 व 183 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि वादिनी कस्तूरी बाई व प्रतिवादी संख्या 4 के कायम मुकामान वादीगण हैं इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावा वादी चलने योग्य नहीं मानतें हुये निर्णय दिनांक 8–2–2002 से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–10–2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी थी ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी का हक बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान लिया कि कस्तूरी बाई वादनी व प्रतिवादी पन्ना के कायम मुकाम एक ही होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट रूप से अधिकार तय करने चाहिये थे। क्योंकि अपीलार्थी का वाद घोषणा व बटवारे का था। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादग्रस्त आराजी का आपसी बटवारा हो गया हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य आ गया कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य दावा संख्या 691/78 चला था परन्तु उसका निर्णय किसी पक्ष ने पेश नहीं किया। ऐस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त पत्रावली तलब करनी चाहिये थी। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं।

5. प्रत्यर्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त भूमि प्रदर्श-1 जमाबन्दी खाता संख्या 58 ग्राम ढाबा तहसील अकलेरा सम्बत 2036 से 2039 में पन्ना वल्द दौला 1/2, कस्तूरी बेबा परसा 1/2 का अंकन है। सम्बत 2028-31 में पन्ना एवं परसा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रदर्श में यह नोट अंकित है कि जरिये बैनामा दिनांक 21-7-79 खसरा नम्बर 73 की 2बीघा 8 विस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 5 विस्वा व खसरा नम्बर 103 रकबा 2 बीघा 7विस्वा प्रत्यर्थी संख्या 3 को विक्रय किये जाने से उसके नाम खाते में दर्ज की गई। इसी प्रकार जरिये बैनामा

खसरा नम्बर 154 की 6 विस्वा, 164 की 2बीघा 10विस्वा, खसरा नम्बर 166 की 17विस्वा, खसरा नम्बर 176 की 11 विस्वा, खसरा नम्बर 184 की 5विस्वा, खसरा नम्बर 304 की 2बीघा 4 विस्वा एवं खसरा नम्बर 136 की 2बीघा 12 विस्वा कुल 8बीघा 16विस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 व3 के खातेदारी में दर्ज की गई है। वादग्रस्त भूमि में से विक्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 73,89 व 103 प्रदर्श डी–12 जमाबन्दी सम्बत 2041–44 में जुगल किशोर के नाम दर्ज है। प्रदर्श डी–1 से प्रदर्श डी–9 इन्तकाल हैं जिनमें भी वादग्रस्त भूमि का विक्रय दीगर व्यक्तियों को किया जाना पाया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मृतक कस्तूरी व मृतक पन्ना के बीच इन्ही तथ्यों के आधार पर एक दावा संख्या691/78 चला था किन्तु उसमें क्या निर्णय हुआ, पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह निर्विवाद प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि मृतक पन्ना व मृतक कस्तूरी के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। मृतक पन्ना ने वादग्रस्त भूमि में से 13 बीघा 16विस्वा भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत बयनामा कर दिया था। इस बेचान को निरस्त कराने के लिये सक्षम सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई हो,ऐंसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दावा संख्या 691/78 में मृतक पन्ना का यह जबाब था कि मृतक परसा ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 5–6–78 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा मु. सुरजी व श्रीलाल के नाम कर दिया और 15बीघा भूमि का बेचान मृतक परसा ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था जिसमें से मृतक पन्ना को कोई हिस्सा नहीं मिला। इस कारण मृतक कस्तूरी वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा पृथक कराने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार दावा संख्या 691/78 में मृतक कस्तूरी के अधिकारों को चुनौती दी

जा चुकी थी। जहां तक पन्ना द्वारा अपने हिस्सें से अधिक भूमि व विशेष खसरा नम्बरों का विक्रय कर दिये जाने का प्रश्न है, यह आपति अब सारहीन हो चुकी है क्योंकि मृतक पन्ना,मृतक कस्तूरी व मृतक परसा के उत्तराधिकारी एक ही हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1 9 9 9 एस सी पेज2 2 1 3 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

९. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य